5.

उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, पर दिनांक 24-3-1984 को 10-30 बजे पूर्वान्ह में हुई उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1984 की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

(1)	श्री श्याम सुरी	आवास आयुक्त	अध्यक्ष
(2)	श्री राम पाल सिंह		सदस्य
(3)	श्री मीर मज़हर अली		सदस्य
(4)	श्री माता प्रसाद		सदस्य
(5)	श्रीमती दीपा कौल		सदस्या
(6)	श्री नौनिहाल सिंह		सदस्य
(7)	श्री जे०पी०दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(8)	श्रीमती मंजुलिका गौतम	विशेष सचिव, आवास (आवास सचिव की प्रतिनिधि)	सदस्या

बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्रमांक	विषय	संकल्प	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 12-1-84 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	द्वितीय/(1)/84	परिषद की दिनांक 12-1-84 को हुई बैठक के कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
2-	परिषद की बैठक दिनांक 12-1-1984 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।	द्वितीय/(2)/84	परिषद् द्वारा दिनांक 12-1-1984 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आख्या की विस्तृत समीक्षा की गयी तथा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-
			1- मुरादाबाद एवं अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों द्वारा परिषद के आवास गृहों पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण के सम्बन्ध में आवास आयुक्त ने कृत कार्यवाही की जानकारी करायी और यह बतलाया कि गृह विभाग को परिषद के आवासगृहों को शीघ्र खाली कराने तथा अध्यासन के सम्बन्ध में किराये की धनराशि अदा करने हेतु संदर्भ भेज दिया गया है। निर्णय लिया गया कि शासन के गृह विभाग से इस मामले का शीघ्र निस्तारण कराया जाये।
			2- परिषद को इन्दिरा नगर योजनान्तर्गत 80 मध्यम आय वर्ग एम०ई०/75 प्रकार के भवनों के प्राविधिक परीक्षण के संदर्भ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता श्री जी०सी० गुप्ता के स्तर पर लम्बित कार्यवाही शीघ्र पूरी कराकर उनकी आख्या परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये।
			3- परिषद् द्वारा निर्मित कालोनीज़ को स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी करायी गयी और यह बताया गया कि अलीगढ़ की लम्बित 4 योजनाओं से सम्बन्धित पत्रावलियाँ संकलित की जा रही हैं। निर्णय लिया गया कि अलीगढ़ की सम्बन्धित कालोनीज़ के विस्तृत तथ्यात्मक विवरण शीघ्र अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किये जायें।
			4- रानीखेत में परिषद की योजनाओं चलाये जाने के सम्बन्ध में आवास आयुक्त ने बताया कि

1	2	3	4
			उन्होंने सेन्ट्रल कमान्ड के उच्चाधिकारियों से संपर्क किया था किन्तु वे कैन्टोनमेंट बोर्ड के क्षेत्र के भीतर भूमि देने के लिये तैयार नहीं हो रहे हैं। अध्यक्ष ने यह भी बताया कि पूर्व में परिषद के अधिकारियों द्वारा चयनित भूमि को यह एक बार पुनः देखकर परिषद की अगली बैठक अपनी प्रतिक्रिया से अवगत करायेंगे।
3- वर्ष-1983-84 का पुनरीक्षित एवं वर्ष-1984-85 का आय-व्ययक।	द्वितीय/(3)/84		परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त परिषद का वर्ष-1983-84 का पुनरीक्षित एवं वर्ष-1984-85 का आय व्ययक सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
4- बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार।	द्वितीय/(4)/84		बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार विमर्श हुआ और निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-
		1-	वर्ष-1983-84 के लिये निर्धारित भूमि अर्जन के लक्ष्य के सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति की जानकारी परिषद को कराई गयी। परिषद को यह बताया गया कि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों के पद कुछ समय से समय तक रिक्त रहे और कुछ अधिकारियों के साथ उनसे सम्बद्ध अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति पूरी न होने के कारण भूमि अध्याप्ति अधिकारियों द्वारा पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं हो पा रहा है। निर्णय लिया गया कि जिन कर्मचारियों की नियुक्तियां अभी नहीं हो पायी है उनके संदर्भ में राजस्व परिषद से अनुरोध कर रिक्त पद शीघ्र भराये जायें ताकि भूमि अर्जन की कार्यवाही तीव्रता आ सके।
		2-	बैठक में बताया गया कि द्वितीय वर्ष-83-84 में 802.94 एकड़ भूमि पर विकास कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य परिषद द्वारा निर्धारित किया गया था जिसके विरुद्ध फरवरी-84 तक 309 एकड़ भूमि पर विकास कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 948.50 एकड़ भूमि पर विकास कार्य प्रगति पर है। यह भी बताया गया कि कई योजनाओं की जल सम्पूर्ति एवं सीवरेज से सम्बन्धित डिजाइन तथा प्राक्कलन स्टाफ की कमी के कारण समय से नहीं उपलब्ध किये जा सके। फिर भी निर्धारित लक्ष्य से अधिक क्षेत्रफल पर विकास कार्य प्रारम्भ हो चुका है। निर्णय लिया गया कि जिन योजनाओं में भवन निर्माण कार्य पहले पूर्ण हो चुके हैं अथवा निर्माण कार्य अग्रिम स्थिति में है उनसे सम्बन्धित समस्त विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जायें ताकि निर्मित सम्पत्तियों के आवंटन में विलम्ब न हो।
		3-	20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष-1983-84 में 10,500 भवन/साइट एण्ड सर्विसेज को पूर्ण करने का लक्ष्य परिषद द्वारा निर्धारित किया गया था जिसे भूमि एवं ईंटों की उपलब्धता से सम्बन्धित कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये पुनरीक्षित कर 8500 भवन/साइट एण्ड सर्विसेज पूर्ण/ प्रगति पर करने के लिये लक्ष्य निर्धारित किया गया था। परिषद को बताया गया कि भूमि से सम्बन्धित विवादों के कारण निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के 4,447 भवन/ साइट एण्ड सर्विसेज तथा 1630 अल्प आय वर्ग के भवन पूर्ण अथवा प्रगति पर है। इन दोनों को सम्मिलित करते हुये उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत

1	2	3	4
			6282 भवन/साइट एण्ड सर्विसेज पूर्ण अथवा प्रगति पर है जो निर्धारित लक्ष्य से कम है। भूमि सम्बन्धी कठिनाईयों की जानकारी विस्तार से परिषद को करायी गयी। कठिनाईयों के निवारण हेतु निम्नलिखित निर्णय सर्वसम्मति से लिये गये:- 1- जिन योजनाओं की विज्ञप्ति 8 वर्ष या उससे पहले की गयी है उनके भू-स्वामियों को प्रतिकर अतिरिक्त उचित दर पर एक्सग्रेशिया का निर्धारण/ वितरण परिषद स्तर से किया जावे। एक्सग्रेशिया की उचित दर निर्धारित करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी से विचार विमर्श करके योजनावार प्रस्ताव परिषद को प्रस्तुत किया जावे। 2- परिषद की जिन योजनाओं की स्वीकृति धारा-3। और धारा 7/17 के स्तर पर शासन स्तर पर लम्बित है उनके संदर्भ में शासन स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही पूर्ण कराने का प्रयास किया जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि ऐसी योजनाओं की स्वीकृति एक माह के अन्दर शासन स्तर से प्राप्त हो जाती है तो भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराकर 3000 अतिरिक्त भवन/साइट एण्ड सर्विसेज का निर्माण 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जावे ताकि वित्तीय वर्ष-83-84 के अवशेष लक्ष्य भी वर्ष-1984-85 में पूर्ण हो सके। ।।- यह भी निर्णय लिया गया कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में भूमि अर्जन से सम्बन्धित तथा अन्य कठिनाईयों जो आती हैं उनके निराकरण हेतु शासन स्तर पर त्रैमासिक बैठक की जाए ताकि शासन के सहयोग से समय पर कठिनाईयों का निवारण हो सके और निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो सके। इसके लिये शासन से अनुरोध कर लिया जावे। 4- वर्ष-1976-77 व 77-78 के धन विनियोजन एवं बैंक समाधान के सम्बन्ध में परिषद को बताया गया कि परिषद के निर्णयानुसार जिन बैंकों का विवरण प्राप्त हो गया है उसके आधार पर 77-78 की बैलेन्सशीट व बैंक समाधान का कार्य प्रगति पर, निर्णय लिया गया कि 76-77 व 77-78 के बैंक समाधान व बैलेन्सशीट बनाने का कार्य माह अप्रैल के अन्त तक अवश्य पूर्ण कर लिया जावे। 5- वर्ष-1977-78 से वर्ष-1982-83 तक के बैलेन्सशीट के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन्हें दिसम्बर-84 तक पूरा कराने के लिये कार्यवाही अभी से सुनिश्चित की जावे और समय समय पर की गयी प्रगति का अनुश्रवण किया जाय। 6- लेखा मैनुअल तैयार करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से कराया जावे।
5-	राजाजीपुरम योजना, लखनऊ के सक्टर-16, 17, 18 में परिषद व्यवसायिक परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित 44 क्योस्क व 18 चबूतरों के निर्माण के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(5)/84	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से ~~स्वीकृति~~ से स्वीकृति प्रदान की गयी।
6-	गुरु तेगबहादुर नगर योजना इलाहाबाद में परिषद कण्ड	द्वितीय/(6)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।

1	2	3	4
	से घोषित दो दुकानों एवं दो टवायलेट (महिला एवं पुरुष) के सम्बन्ध में।		
7-	रायबरेली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 रायबरेली के विकास कार्यों की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(7)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
8-	कुर्सी रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ में समाविष्ट खसरा सं0-233 ग्राम-अटरिया सबौली के क्षेत्रफल में से 2 बिस्वा भूमि श्रीमती निर्मला अग्रवाल-धर्मपत्नी श्री एस0सी0 अग्रवाल की प्रार्थना पर अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(8)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
9-	विभिन्न वृत्तों/खण्डों द्वारा हडको प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बनाये जाने वाले भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(9)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
10-	किराया पद्धति पर आवंटन हेतु वर्तमान नियमावली में संशोधन।	द्वितीय/(10)/84	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस संशोधन के साथ स्वीकृति किया गया कि प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों/कर्मचारियों को किराया पद्धति पर भवन आवंटित हो उन्हें यथा सम्भव उनकी प्रतिनियुक्ति से वापस जाने पर खाली करा लिये जायें। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त प्रतिनियुक्ति से वापस हुये अधिकारी/कर्मचारी को वेतन के 10 प्रतिशत तथा मकान किराया भत्ता जो उन्हें सम्बन्धित निगम/शासन द्वारा देय होगा के देने पर आवंटित भवन में रहने की अनुमति दे सकते हैं।
11-	परिषद की ट्रान्स यमुना आवास योजना आगरा के अन्तर्गत निर्मित भवनों में यवक्षार (साल्टपीटर) के कुप्रभाव से हुई क्षति के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(11)/84	परिषद की ट्रान्स यमुना आवासीय योजना आगरा के अन्तर्गत निर्मित भवनों में साल्टपीटर के कुप्रभाव से हुई क्षति की जानकारी परिषद को करायी गयी। निर्णय लिया गया कि तकनीकी समिति की आख्या शीघ्र प्राप्त कर परिषद की अगली बैठक में रखी जाये।
12-	वर्ष-1981 में परिषद की विभागीय निर्माण इकाई प्रथम लखनऊ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित भवनों से दि0 11-6-81 की रात्रि में 242 बोरी सीमेंट की डकैती के फलस्वरूप आर्थिक क्षति रु0 8107/= को बट्टे खाते में डालने के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(12)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
13-	हापुड़ में मेरठ मार्ग पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 के विकास कार्यों की पुनरीक्षित स्वीकृति के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(13)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
14- बुलन्दशहर में अनूपशहर एवं शिकारपुर टाँडा ग्राम के पीछे भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 बुलन्दशहर के विकास कार्यों की स्वीकृति के सबंध में।	द्वितीय/(14)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति की गयी।
15- बुलन्दशहर मेंरठना गुलावठी मार्ग पर जिलाधीश निवास के समीप भूमि विकास एवं गृह-स्थान योजना सं0-1, बुलन्दशहर के विकास कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(15)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
16- बिजनोर में रावली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 विकास कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(16)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
17- परिषद की बैठक दि0 12-1-84 के संकल्प सं0-प्रथम(8)/84 के व्दारा विचाराधीन अपील की सुनवाई हेतु गठित उपसमिति के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(17)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उप समिति का पुनर्गठन निम्नवत् कर लिया जाये:- 1- श्री जे0पी0दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0लखनऊ, अध्यक्ष 2- श्री प्रेम नारायण, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उ0प्रशासन, लखनऊ, सदस्य 3- श्री मंगला प्रसाद मिश्र, उप आवास आयुक्त एवं सचिव, संयोजक।

परिषद व्दारा गठित उप समिति को सर्वश्री बिहारी राय, सहायक अभियन्ता, बन्धा बान्देय अवर अभियन्ता तथा रमेश चन्द्र चुग, भूतपूर्व आशुलिपिक को अपीलों के संदर्भ में प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया। उप समिति व्दारा उनमें से प्रत्येक मामले में दिये गये तर्कों को दृष्टिगत रखते हुये उप समिति की संस्तुति सर्वसम्मति से स्वीकार की गई और यह पाया गया कि इन तीनों अपीलों में कोई बल नहीं है। तीनों अपीलें अस्वीकार करते हुये निर्णय लिया गया कि उप समिति व्दारा किया गया विवेचन और अपीलों को अस्वीकार करने के लिये जो तर्क दिये गये हैं वह इस प्रस्ताव के भाग माने जायेगें।

18- राजाजीपुरम योजना, लखनऊ के सैक्टर 6 में परिषद खण्ड के अन्तर्गत बनने वाली 32 दुकानों एवं 130 खुले चबूतरों का निर्माण।	द्वितीय/(18)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
19- पंजीकरण/प्रदेशन विनियमावली में उल्लिखित स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की परिभाषा में संशोधन।	द्वितीय/(19)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
20- प्रस्ताव सं0-1(5)/80 दिनांक 25-2-80 के कार्यान्वयन के विषय में।	द्वितीय/(20)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में जो परिषद के समक्ष प्रस्तुत हो किन्तु जिन्हें समयाभाव के कारण बाई सर्कुलेशन सदस्यों से अनुमोदित कराना हो उन्हें अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त तथा परिषद के एक अन्य सदस्य के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद के मुख्यालय लखनऊ में नियुक्त मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा प्रबन्ध निदेशक, जल निगम जो परिषद के पदेन सदस्य भी हैं उनमें से जो भी उपलब्ध हों उनकी सहमति प्राप्त कर ऐसे निर्णय ले लिये जायें और इस प्रकार जो निर्णय होगें वह परिषद के निर्णय माने जायेगे।

1	2	3	4
21- उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद पंजीकरण प्रदेशन विनियम-1979 के प्रस्तार-36(1) के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(21)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
22- गोरखपुर को शाहपुर योजना सं0-1 में रह रहे 22 हरिजन परिवारों को शाहपुर योजना सं0-2/3 में बसाने के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(22)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तावित विकल्पों में से विकल्प सं0-1 स्वीकृत किया गया।
23- नुरुल्ला रोड सड़क योजना इलाहाबाद के परित्याग करने के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(23)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
24- झांसी योजना सं0-2 इलाहाबाद के विकास कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(24)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
25- मेलपुर योजना, वाराणसी में 65 स्कूटर 19 कार गैराज एवं 19 सर्वेन्ट क्वार्टर्स का निर्माण।	द्वितीय/(25)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
26- नगहेटा भूमि विकास योजना, हरदोई विकास कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति।	द्वितीय/(26)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
27- मुगलसराय भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, वाराणसी।	द्वितीय/(27)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से नियोजन समिति की संस्तुतियां स्वीकार की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि जो अनधिकृत निर्माण धारा-28 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरान्त कर लिये गये हैं उन्हें विकास शुल्क देने की शर्त के साथ ले-आउट में समायोजित कर लिया जाये।
28- झांसी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1, इलाहाबाद के परित्याग करने के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(28)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
29- कार्य प्रभारित कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(29)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
30- विनियम-35 में परिवर्तन अनुमन्य किये जाने हेतु संशोधन।	द्वितीय/(30)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
31- प्रदेश स्थित परिषद के अधियोगिक कार्यों के सम्पादन हेतु उद्यान निरीक्षकों/सहायक उद्यान निरीक्षकों के पदों का सृजन।	द्वितीय/(31)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
32- मेहदौरी-रसूलाबाद भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, इलाहाबाद को परित्याग करने के संबंध में।	द्वितीय/(32)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
33-	राजेपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गाजीपुर में समाविष्ट श्री अब्दुल रज्जाक के नाम की भूमि को अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में।	व्दितीय/(33)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शासन के निर्देशों का पालन किया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि विधिक राय लेकर शासन को इस सम्बन्ध में सन्दर्भ भेजा जाय कि कैसे और किन शर्तों पर संदर्भित भूमि भू-अर्जन से मुक्त की जाये।
34-	कार्य प्रभारित कर्मचारियों के सम्बन्ध में परिषद के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी।	व्दितीय/(34)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
35-	हिल्टन लेन विस्तार योजना लखनऊ के सम्बन्ध में।	व्दितीय/(35)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
36-	अधीक्षण अभियन्ता के पद पर नियुक्ति हेतु कार्यवाही के सम्बन्ध में।	व्दितीय/(36)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
37-	मोहननगर दिल्ली लिंक मार्ग हिन्डनबंट के मध्य भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3, गाजियाबाद के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव।	व्दितीय/(37)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
38-	परिषद के निर्माण खण्डों/विकास खण्डों के वर्कलोड का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।	व्दितीय/(38)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
39-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद के खण्ड/ ~~इकाई~~ इकाइयों में कार्यरत ठेकेदारों के विवाद को सुलझाने के लिये विवादक की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में।	व्दितीय/(39)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
40-	कुर्सी रोड विस्तार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना लखनऊ(क्षेत्रफल 1529 एकड़ अनुमानित लागत 4935-66 लाख)	व्दितीय/(40)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से नियोजन समिति की संस्तुति को स्वीकार करते हुये निर्णय लिया गया कि धारा-28 के पश्चात् के जो अनाधिकृत निर्माण हैं उन्हें विकास शुल्क लेने की शर्त के साथ ले-आउट में समायोजित कर लिया जाये।
41-	प्रतापगढ़ भूमि विकास योजना सं0-2 के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव।	व्दितीय/(41)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
42-	अवर अभियन्ता(सिविल) एवं संगणक संवर्ग के सविलीकरण के सम्बन्ध में।	व्दितीय/(42)/84	विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
43-	हडको वित्त पोषित एम0आई0जी0हाउसिंग स्कीम दमदमा कोठी मुरादाबाद(स्कीम नं0-2933)	व्दितीय/(43)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
44-	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 (विस्तार) उन्नाव की धारा-28 हेतु प्राक्कलन।	द्वितीय/(44)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
45-	सिविल लाइन्स योजना फतेहपुर में भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति।	द्वितीय/(45)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
46-	टनकपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना टनकपुर (क्षेत्रफल 10.50 एकड़ अनुमानित लागत रू0 19.933) लाख।	द्वितीय/(46)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
47-	रूद्रपुर योजना सं0-1 रूद्रपुर में द्वितीय हडको परियोजना के अन्तर्गत निर्मित 60 म0आ0व0भवनों एवं 118 अ0आ0व0 के भवनों में से ''सेलु'' को दिये जाने वाले 12 म0आ0व0 एवं 18 अ0आ0व0 के भवनों में बाउन्ड्रीवाल के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव।	द्वितीय/(47)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
48-	इन्दिरानगर विस्तार योजना लखनऊ के सेक्टर-16 में दु0आ0व0 के 196 भवनों की स्वीकृति को 228 भवनों के लिये संशोधित करने के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(48)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
49-	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 ललितपुर की धारा-28 हेतु प्रस्ताव व प्राक्कलन।	द्वितीय/(49)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
50-	परिषद मुख्यालय प्रांगण में भवन निर्माण तथा पार्किंग वेज के निर्माण हेतु प्रारम्भिक प्राक्कलन।	द्वितीय/(50)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
51-	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना ओबरा जिला-मीरजापुर की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन	द्वितीय/(51)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
52-	स्टर्डिया केमिकल्स के समीप ऋषिकेश में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1	द्वितीय/(52)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
53-	अवर अभियन्ता (सिविल) में सहायक अभियन्ता के पदों पर प्रोन्नति हेतु दो वर्ष की कम्प्यूटेशन का प्रतिबन्ध।	द्वितीय/(53)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
54-	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना हमीरपुर की धारा-28 का प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	द्वितीय/(54)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

सचिव, सम्पत्ति प्रबन्ध (भू अ.)
अनुभाग अधिकारी (भू अ.)
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गान्धी मार्ग,
लखनऊ,

महोदय,

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि 24 मार्च 1984 को परिषद बैठक कि मै. ए....... के भुगतान के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की प्रमाणित छाया प्रति पाण्डेयपुर योजना वाराणसी से सम्बन्धित रिट में आवश्यकता है, जिसे प्राप्त करने हेतु अधि० अभि० नि० खण्ड-34 वाराणसी द्वारा मुझे भेजा गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त सन्दर्भित दिनांक 24-3-1984 के परिषद बैठक की प्रमाणित छाया प्रति दिलाने की कृपा करें।

उ. अधि. (भू.)
07/5/2002

भवदीय
[signature] 7-5-2002
(हृदय नारायण)
सहा० श्रेणी III
निर्माण खण्ड-34
वाराणसी

विशेष कार्याधिकारी
कृपया 24.3.84 को परिषद बैठक का संकल्प खण्ड-34 को आवश्यकता है। कृपया उस की छाया प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
[signature] 7/5/2002

प्राप्त
[signature] 7-5-2002
हृदय नारायण
AG II

1	2	3	4
55-	पठानपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 सहारनपुर की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवंप्राक्कलन योजना का क्षेत्रफल 174.15 एकड़ योजना का कुल अनुमानित व्यय रु0 849.54 लाख)	द्वितीय/(55)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
56-	श्री जयपाल सिंह, उप सचिव का पंजीकरण उच्च आय वर्ग से मध्यम आय वर्ग भवन हेतु किये जाने के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(56)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
57-	वृक्षारोपण प्रगति वर्ष-1983-84	द्वितीय/(57)/84	परिषद को वृक्षारोपण के प्रगति की जानकारी करायी गयी। निर्णय लिया गया कि वृक्षारोपण का कार्य परिषद की कालोनीज़ में व्यापक स्तर पर कराया जाय और जिन कालोनियों के विवरण अभी प्राप्त नहीं हो पाये हैं उसे प्राप्त कर परिषद की अगली बैठक में रखा जाय।
58-	परिषद के ठेकेदारों के पंजीकरण सम्बन्धी नियम बनाने के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(58)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
59-	धारा-31 के पूर्ण योजना के डिटेल्ड सर्वे करने तथा कब्जा मिलते ही तुरन्त कार्य को प्रारम्भ करने हेतु वांछित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिये सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/कार्य अधीक्षक व्दारा वित्तीय स्वीकृत की प्रत्याशा में व्यय करने की आवश्यकता हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी।	द्वितीय/(59)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
60-	परिषद की आवासीय योजनाओं के लिये अर्जित भूमि के प्रतिकर के अतिरिक्त एक्सग्रेशिया के भुगतान के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(60)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया कि एक्सग्रेशिया के निर्धारण/वितरण का कार्य उन सभी योजनाओं के संदर्भ में किया जावे जिनमें अध्याप्ति की कार्यवाही में 8 वर्ष या उससे अधिक का समय बीत गया है और काश्तकार कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं।
61-	वास्तुविद नियोजक तथा मुख्य वास्तुविद नियोजक सेवा विनियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(61)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
62-	परिषद में तदर्थ रूप से कार्यरत कर्मचारियों के अनुग्रह धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(62)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
63-	नीलामी व्दारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के व्यवसायिक सम्पत्ति के प्रदेशन सम्बन्धी विनियम-1980 के विनियम6(9) एवं 8(ख) में संशोधन।	द्वितीय/(63)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।

1	2	3	4
64-	परिषद द्वारा प्रदिष्ट सम्पत्ति के प्रदिष्टी की मृत्यु के पश्चात् विनियम-42(2) में उत्तराधिकार का निर्णय।	द्वितीय/(64)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
65-	परिषद में निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर सीधी भर्ती का प्रावधान किये जाने के संबंध में।	द्वितीय/(65)/84	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
66-	परिषद के विचारार्थ टिप्पणी।	द्वितीय/(66)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से समिति की संस्तुति स्वीकार की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि मुरादाबाद में स्थित दमदमा कोठी योजना का नाम ''जिगर नगर'' तथा रामपुर योजना सं0-1 व 2 का नाम ''जौहर नगर'' रखा जाये।

परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परिषद की अगली बैठक दिनांक 18-5-1984 को नैनीताल में होगी।

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुये समाप्त की गयी।

पुष्टि की गयी

अध्यक्ष